M.A II sem pol. sc.

Environmentalism

पर्यावरणवाद

Dr. Madhu Bala.

पर्यावरणवाद (Environment)—पर्यावरणवाद कोई स्वाधीन-राजनीतिक सिद्धान्त न होकर एक विचारधारात्मक आन्दोलन (Ideological Movement) है जो पाश्चात्य राजनीति में 1970 के दशक में शुरू हुआ और धीरे-धीरे समस्त विश्व में फैल गया। वातावरण के विज्ञान से घनिष्ठ सम्बन्ध के कारण पर्यावरणवादियों को परिस्थितिज्ञानवादी (Ecologists) भी कहा जाता है। चूँकि इस आन्दोलन द्वारा वातावरण में हरियाली बनाये रखने पर बल दिया जाता है। इसलिए इससे प्रेरित राजनीति को हरित राजनीति (Green Politics) भी कहा जाता है। कुछ देशों में जैसे कि न्यूजीलैण्ड, पश्चिमी जर्मनी और ब्रिटेन में 'हरित राजनीति' के लक्ष्यों की सिद्धि के लिए राजनीतिक दल बनाये गये, चुनाव भी लड़े गये, परन्तु उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली।

पर्यावरण के समर्थक यह मानते हैं कि पृथ्वी किसी की निजी सम्पत्ति नहीं है। यह हमें पूर्वजों से उत्तराधिकार में मिली है और हमारे पास भावी पीढ़ी की धरोहर है। अतः यह हमारा दायित्व है कि हम प्राकृतिक संसाधनों (Natural Resources) को सुरक्षित रखें। वर्तमान पीढ़ी को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने उपभोग के लिए सारे संसाधनों का दोहन करके भावी पीढ़ियों के लिए खतरा उत्पन्न कर दे। परिस्थिति विज्ञान ने आर्थिक विकास की अन्धी दौड़ पर चिन्ता जतायी है। खनिज पदार्थों की खोज में अन्धाधुन्ध खनन किया गया, वायु प्रदूषण, जल-प्रदूषण पैदा किया गया और वनस्पति तथा वनों की अन्धाधुन्ध कटाई ने प्राकृतिक सन्तुलन बिगाड़ दिया। उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक कूड़े-कचरे से (Chemical Waste) और न्यूक्लीयर शक्ति (Nuclear Power) के प्रयोग से पैदा होने वाले रेडियोधर्मी रिसाव (Radioactive Leakage) के कारण धरती रहने योग्य नहीं रह गयी है। इन कारणों से पर्यावरणवाद 'जीवन की गुणवत्ता' (Quality of life) को आर्थिक समृद्धि (Economic Growth) से ऊँचा मानता है तथा प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक सौन्दर्य, वातावरण की स्वच्छता तथा नगरों और उपनगरों के स्वरूप को बनाये रखने पर बल देता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्यावरणवाद राजनीति कार्यक्रम के मुद्दे बनाकर, इनके लिए सरकार पर जोर डालता है जिससे वह उपयुक्त नीतियाँ और कानून बनाये। पर्यावरणवादी चाहते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ सन्तुलन बनाकर रहे, उसे नष्ट न करे।

पर्यावरण संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून बनाने से सम्बन्धित प्रयास

(EFFORTS RELATED FOR MAKING INTERNATIONAL LAW FOR ENVIRONMENT PROTECTION)

कुछ प्रयास निम्नलिखित हैं—

1. लेक सेक्स सम्मेलन, 1949—संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लेक सेक्स में 1949 में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि प्रकृति के उपकरण एक नैसर्गिक बपौती है जिसे नष्ट नहीं करना चाहिए।

2. स्टॉकहोम सम्मेलन, 1972—संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1968 में एक निर्णय किया था कि मानव पर्यावरण की क्षति को सीमित करने के लिए तथा मानव की प्राकृतिक परिस्थितियों के संरक्षण और सुधार के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर कार्यवाही की आवश्यकता है। इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए

1972 में संयुक्त राष्ट्र मानवीय पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ। [illegible] हैं जो निम्नलिखित हैं—

1. मनुष्य अपने पर्यावरण का निर्माता [illegible] है।

2. पर्यावरण मनुष्य को शारीरिक [illegible]

3. पर्यावरण ही व्यक्ति को बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास का अवसर प्रदान करता है।

4. मानवीय पर्यावरण का संरक्षण एवं विकास [illegible] विश्वभर के आर्थिक विकास पर पड़ता है।

5. विकासशील देशों में अधिकांश समस्याएँ [illegible]

6. जनसंख्या की [illegible] नीतियाँ तथा उपाय आवश्यक हैं।

7. इतिहास में एक समय ऐसा आ गया है [illegible] को देखते हुए अधिक सावधानीपूर्वक करने चाहिए।

घोषणा के दूसरे भाग में 26 सिद्धान्त सम्मिलित हैं, जिनमें से कुछ सिद्धान्त [illegible] हैं—

1. सामान्य प्रकृति के प्रथम सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य को स्वतन्त्रता, समानता तथा जीवन की उपयुक्त दशाओं का मौलिक अधिकार है।

2. द्वितीय सिद्धान्त में यह व्यवस्था है कि पृथ्वी के प्राकृतिक स्रोतों (वायु, पानी, भूमि [illegible] शामिल हैं) को वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के लिए सावधानीपूर्वक, उपयुक्त [illegible] द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिए।

3. सिद्धान्त सात में कहा गया है कि समुद्र में होने वाले प्रदूषण [illegible] सामुद्रिक जीवन के लिए हानिकर हैं [illegible] रोका जाना चाहिए।

4. आठवें सिद्धान्त में यह स्वीकार किया गया है कि मनुष्य हेतु [illegible] के लिए आर्थिक तथा सामाजिक विकास आवश्यक है।

5. सिद्धान्त 22 में यह बताया गया है कि [illegible] प्रदूषण से पीड़ितों तथा अन्य पर्यावरण के नुकसान के सम्बन्ध में दायित्व तथा मुआवजे से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास करने के लिए सहयोग करेंगे।

6. सिद्धान्त 26 में यह [illegible] है कि मनुष्य तथा उसके पर्यावरण को आणविक [illegible] तथा अन्य सभी प्रकार के जन-विनाश के साधनों से बचाकर रखा जाए।

इसमें एक ऐसी कार्य-योजना को भी स्वीकृति दी गयी [illegible] तथा मानव बस्तियों के लिए सरकारी और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा उपायों की सिफारिशें थीं। इस सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को आवश्यक माना गया। इस सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की संस्तुति की गई, जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने स्वीकार कर लिया।

3. संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme—UNEP)—स्टॉकहोम सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए 58 सदस्यीय अधिशासी परिषद् की स्थापना की। इसका मुख्यालय नैरोबी में है। [illegible]

पर्यावरण निगरानी की जा रही है जो प्रदूषण से सम्बन्धित सूचना और उनके उपचार के उपाय सम्बन्धी बताते हैं।

इसके प्रयास से राज्यों द्वारा 1975 में निम्नलिखित सन्धियाँ स्वीकृत की गयी हैं—

(i) संकटग्रस्त जंगली पेड़-पौधों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अभिसमय, 1973 (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Life Fauna and Flora, 1973)।

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की नम भूमि तथा विशेषकर पानी में रहने वाले पक्षियों के स्थान पर अभिसमय, 1971 (The Convention on Wet Lands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat, 1971)।

(iii) विश्व सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से सम्बन्धित अधिनियम, 1972 (The Convention Concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage, 1972)।

(iv) तेल प्रदूषण के अपघातों के मामलों में खुले समुद्र में हस्तक्षेप से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1969 (The International Convention to Intervention on the High Seas in cases of Oil Pollution Casualties, 1969)।

(v) तेल प्रदूषण के नुकसान के लिए असैनिक दायित्व पर अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1969 (The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969)।

(vi) जलपोतों तथा हवाई जहाजों द्वारा ढेर लगाने से सामुद्रिक प्रदूषण को बचाने के लिए अभिसमय, 1972 (The Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping from Ships and Air Crafts, 1972)।

(vii) कूड़ा-करकट तथा अन्य सामान ढेर लगाने से सामुद्रिक प्रदूषण को बचाने के लिए अभिसमय, 1972 (The Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972)।

1973 से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की सहायता से समुद्रतटीय प्रदूषण रोकने तथा पर्यावरण विकास के लिए मरुस्थलों का फैलाव रोकने के लिये कार्य किया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, अर्जेण्टीना, 1977—जल प्रदूषण की समस्या विश्वव्यापी है। इस समस्या के समाधान के लिए अर्जेण्टीना में एक सम्मेलन हुआ जिसमें 1981-1990 तक के दशक के लिए अन्तर्राष्ट्रीय जल आपूर्ति और जल प्रदूषण निवारण दशक के रूप में मनाने का निश्चय किया। इसके अन्तर्गत 2 अरब जनसंख्या को प्रदूषण रहित जल उपलब्ध कराने के लिए वृहद् कार्यक्रम बनाया।

नैरोबी घोषणा, 1982—10-18 मई, 1982 तक नैरोबी में मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन 10वीं वर्षगाँठ मनाने के लिए हुआ। उसमें एक घोषणा द्वारा विश्व समुदाय के राज्यों ने स्टॉकहोम घोषणा के प्रति पुनः आस्था प्रकट की।

पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट समिति—विश्व की पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट समिति की स्थापना मई, 1984 में हुई। फरवरी 1987 में इसकी बैठक हुई जिसमें उष्ण देशों के कम होने तथा रेगिस्तानों और तेजाब वर्षा (Acid Rain) रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निर्देश बनाने के लिए चर्चा हुई।

रिओ पृथ्वी सम्मेलन, जून 1992—3 जून से 14 जून, 1992 तक चलने वाले इस सम्मेलन का ब्राजील की पुरानी राजधानी रिओ डि जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बुतरस घाली ने उद्घाटन किया। यह सम्मेलन 'पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन' था, इसमें 150 से अधिक राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह सम्मेलन स्टॉकहोम के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन—1972 की बीसवीं वर्षगाँठ पर आयोजित किया गया था, जिसमें भाग लेने वाले सभी राज्य प्रमुखों की ओर से एक संयुक्त घोषणा-पत्र जारी किया गया। इस घोषणा-पत्र में पर्यावरण एवं विकास को अन्योन्याश्रित स्वीकार करते हुए मानव जाति के घर 'पृथ्वी' के पर्यावरण की सुरक्षा के लिये सभी देशों के सामान्य अधिकारों एवं कर्तव्यों को सैद्धान्तिक रूप से सुपरिभाषित किया गया।

रिओ पृथ्वी सम्मेलन : उपलब्धियाँ

रिओ में आयोजित शिखर सम्मेलन की उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं—

इस सन्धि के तहत ताप बढ़ाने वाली गैसों के बढ़ते उत्सर्जन से जलवायु परिवर्तन एवं समुद्र स्तरों में बढ़ोत्तरी के खतरों को रेखांकित किया गया। साथ ही यह भी साफ किया गया कि ऐसी गैसों की ज्यादा मात्रा विकसित देश ही वायुमण्डल में उड़ेलते हैं। सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों से आग्रह किया गया कि वे शीघ्र ही रिपोर्ट तैयार करें कि ऐसे उत्सर्जन को घटाने के लिये वे क्या उपाय कर रहे हैं। यही नहीं, सन्धि में यह भी आग्रह किया गया कि विकसित देश ऐसे उत्सर्जन को सन् 2000 तक 1990 के स्तर पर लाने का प्रयास करें। हालांकि इस लक्ष्य के लिये कोई कानूनी बन्धन अस्तित्व में नहीं आ सका।

जैव विविधता (Bio-diversity) **पर समझौता**—इस समझौते में इस बात पर बल दिया गया कि सभी राष्ट्र अपनी सीमाओं में वानस्पतिक एवं जीव-जन्तुओं की विभिन्न जातियों को सुरक्षित करें। समझौते में यह भी कहा गया कि विकसित देश (G.E.F.—Global Environment Facility) में उपलब्ध फण्ड की सहायता से विकासशील देशों को जैव विविधता की रक्षा करने के लिए प्रेरित करें।

एजेण्डा-21—यह एक वृहद् दस्तावेज है। इसमें समुद्र, तापमान, जैव विविधता के बारे में चर्चा की गयी है और ऐसे तरीके बताये गये हैं जिनसे पर्यावरण को संरक्षण देते हुए विकास किया जा सके।

सतत् विकास आयोग—यह आयोग महासभा ने 'आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्' के अधीन स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना सरकारी, उद्योगों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा एजेण्डा-21 के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए हुआ।

तीसरी दुनिया को मदद—पृथ्वी सम्मेलन सचिवालय ने एजेण्डा-21 को क्रियान्वित करने के लिए 350 खरब पौण्ड वार्षिक खर्च का अनुमान लगाया जिसमें से 70 खरब पौण्ड विकासशील देशों को अनुदान के रूप में दिया जाये। 30 अरब पौण्ड पहले से ही विकसित देश विकासशील देशों को दे रहे थे। 40 खरब पौण्ड की सहायता की उम्मीद G-77 देशों को थी परन्तु जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा आदि ने थोड़े से खरब पौण्ड की घोषणा ही की।

रिओ सम्मेलन : उत्तर-दक्षिण मतभेद—रिओ सम्मेलन में पर्यावरण असन्तुलन को कम करने के लिए अमीर-उत्तर और गरीब-दक्षिण देशों में मतभेद उभरे। दक्षिण गुट का विचार था कि उत्तर ने अपने विकास के लिये पर्यावरण का असन्तुलित शोषण किया है तथा दुनिया में प्रदूषण बढ़ाया है। इसलिए पर्यावरण को सन्तुलित करने तथा प्रदूषण दूर करने के लिये खर्चा दक्षिण को उठाना चाहिए। परन्तु सम्मेलन में दक्षिण देशों ने प्रदूषण पर चिन्ता तो व्यक्त की परन्तु किसी भी दशा में विभिन्न सन्धियों में वर्णित ऐसे प्रस्तावों को स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए जिनसे उनकी जीवन शैली परिवर्तित होने का खतरा था। अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने जैव-विविधता तथा जलवायु परिवर्तन सन्धियों पर हस्ताक्षर नहीं किये क्योंकि उनसे अमरीका के उद्योग, व्यवसाय एवं जीवन-शैली परिवर्तित होने का खतरा था।

जैव विविधता सन्धि पर जून 1992 में 153 देशों ने पृथ्वी सम्मेलन में हस्ताक्षर किये। यह सन्धि 29 दिसम्बर, 1993 से प्रभावी हो गयी।

संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन, न्यूयार्क : जून 1997—यह सम्मेलन 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन में लिये गये निर्णयों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए 23-27 जून, 1997 न्यूयार्क में हुआ था। इसमें 170 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें वनों, प्रजातियों और मत्स्य संग्रह की कमी पर चिन्ता व्यक्त की गयी। विकासशील राष्ट्रों ने विकसित राष्ट्रों से मिलने वाली कम सहायता का रोना रोया। यह सम्मेलन बिना ठोस निष्कर्ष के समाप्त हो गया।

ग्लोबल वार्मिंग पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन—दिसम्बर 1997—पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए दिसम्बर 1997 में जापान के क्योटो नगर में यह सम्मेलन हुआ। 'विश्व पर्यावरण सम्मेलन' तथा 'ग्रीन हाउस सम्मेलन' नामक इस सम्मेलन में वातावरण को गर्म करने वाली गैसों के उत्सर्जन को नियन्त्रित करने के लिए यद्यपि सभी राष्ट्र सहमत थे परन्तु इसकी सीमा का निर्धारण निश्चित नहीं हो पाया।

यह उल्लेखनीय है कि वायुमण्डल में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन पृथ्वी की हरियाली के लिए—वनों, कृषि तथा सामान्यतया पूरे जीवन के लिए एक भारी खतरा है। यह एक भारी विसंगति है किन्तु वैज्ञानिक तौर पर

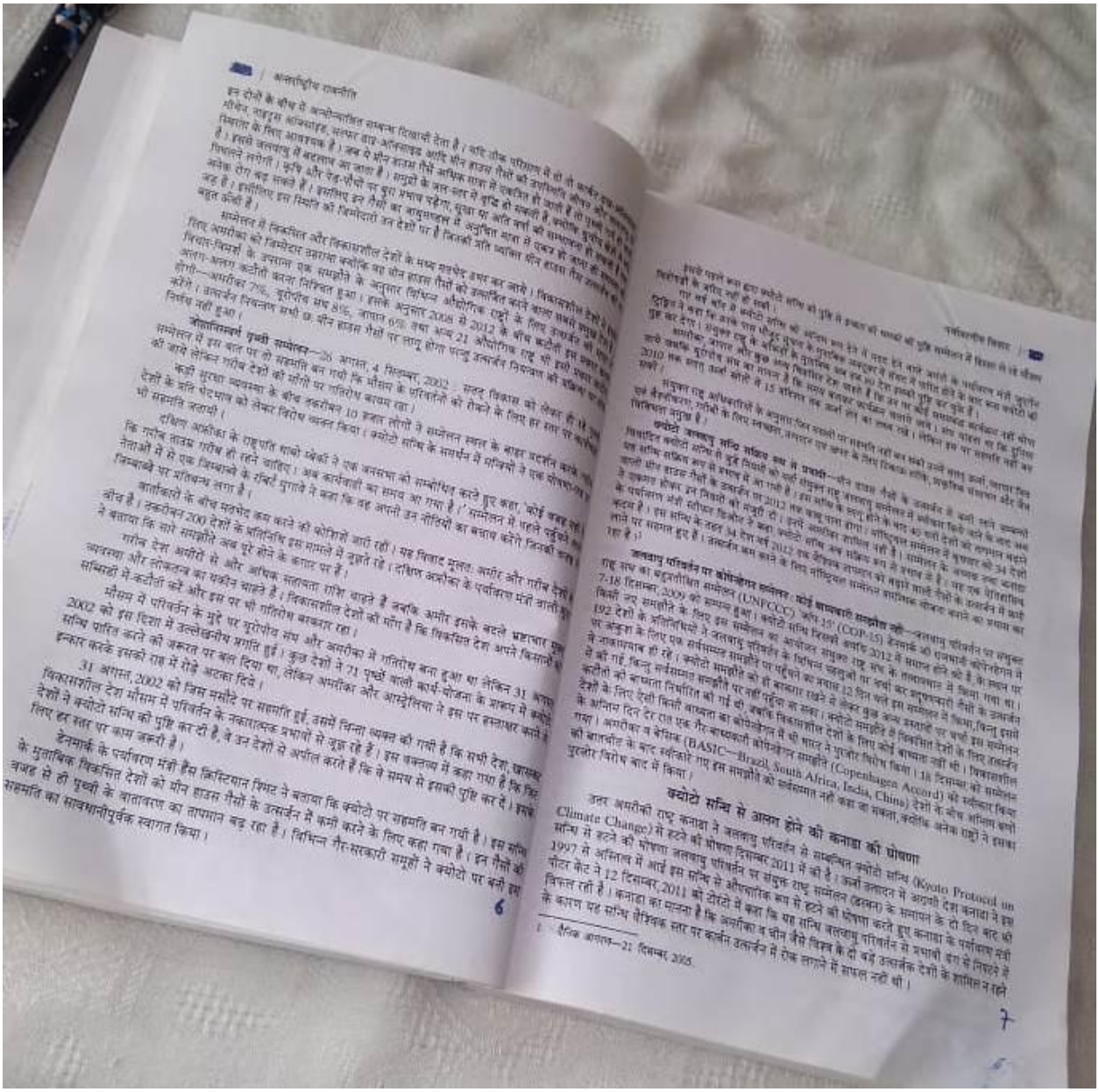

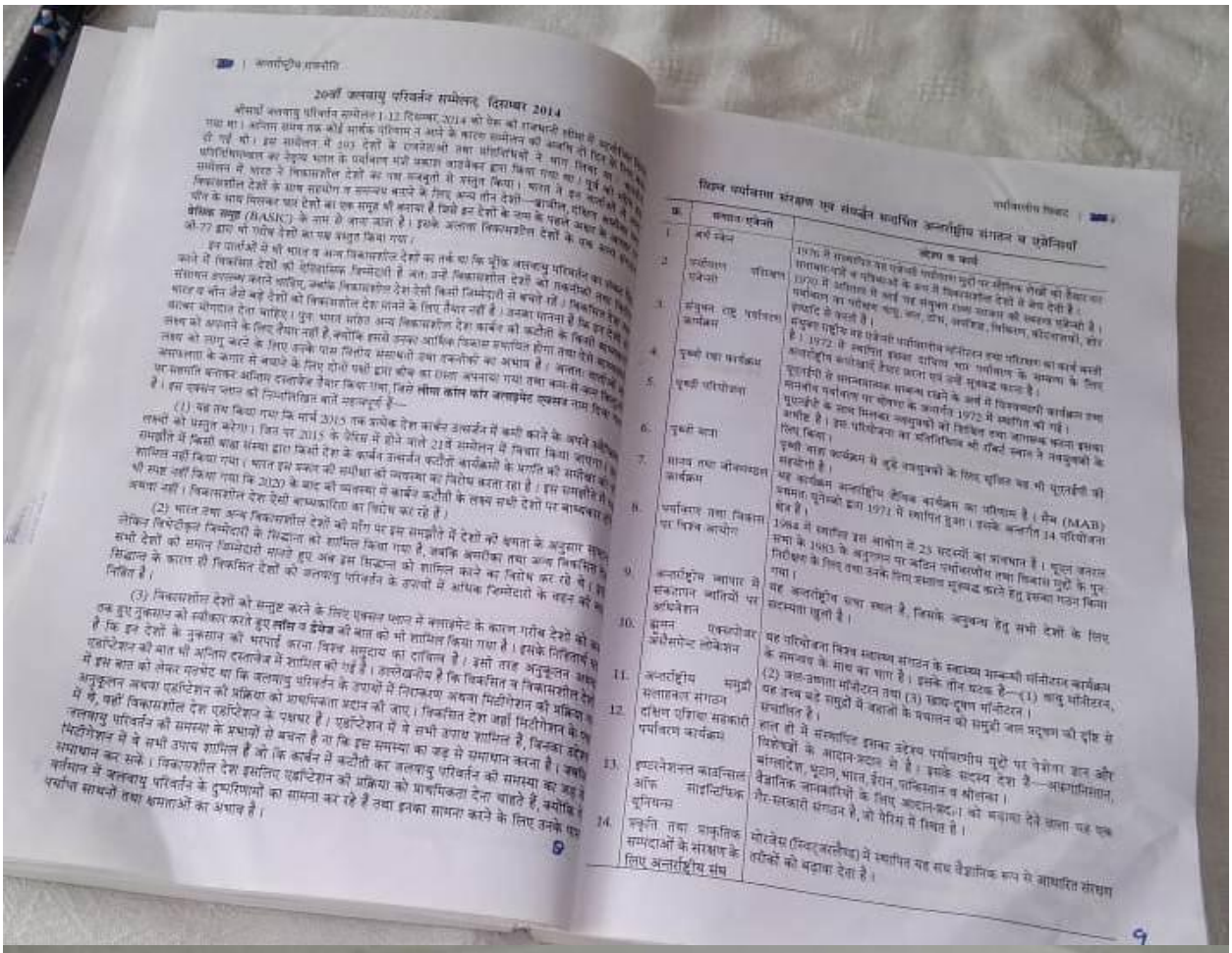

20वाँ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, दिसम्बर 2014

[illegible]

विश्व पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय संगठन व एजेन्सियाँ

[illegible]

15.	यूरोपीय आर्थिक समुदाय	12 यूरोपीय राष्ट्रों का समुदाय है। इनमें पर्यावरण सुधार और प्राकृ[illegible] सम्पदाओं के संरक्षण के लिए मिलकर तालमेल व निपुणता से काम करने [illegible] लिए नीतिगत ढाँचा बनाने तथा क्रियान्वित करने के लिए कार्यक्रम किए [illegible] है।
16.	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन	1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ की यह एजेन्सी स्वतन्त्र रूप से, साथ [illegible] अन्य एजेन्सियों, यथा—यूएनईपी के साथ मिलकर पर्यावरणीय गुणव[illegible] मानवीय बस्तियों, पर्यावरणीय इंजीनियरों को प्रशिक्षण तथा पर्यावरण [illegible] सम्बन्धित अन्य सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाओं को बढ़ावा देती है।